तैयारी

छोटे पैकेज की जगह अब बड़े पैकेज में मिलेगी देखरेख की जिम्मेवारी

नए सिरे से तैयार हो रही सड़कों की रख रखाव नीति

- जोन के आधार पर तय होगी व्यवस्था, टुकड़ों में नहीं तय होगी एजेंसी
- जिस एजेंसी के पास बड़ी लंबाई की सड़कों का जिम्मा है वह ठीक ढंग से काम कर रही हैं

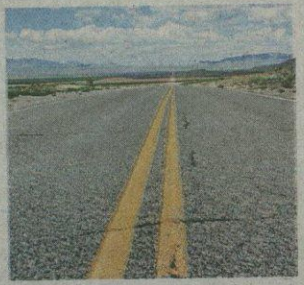

राज्य ब्यूरो, पटना : सड़कों के रख रखाव को ले पथ निर्माण विभाग, नयी नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है। वर्तमान में रख रखाव की नीति जिसे ओपीआरएमसी कहा जाता है, में कई बदलाव किए जा रहे हैं।

अब छोटे पैकेज की जगह बड़े को तरजीह

पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के पांच साल तक रख रखाव के लिए जिन निर्माण कंपनियों को जिम्मेवारी दी थी वह अलग-अलग इलाके की सड़कों के लिए अलग-अलग पैकेज सिस्टम के तहत थी। इसके तहत छोटी-छोटी लंबाई वाली सड़क को भी अलग पैकेज बना दिया गया था। इसमें समस्या यह हो रही है कि छोटे पैकेज से जुड़ी एजेंसी पर्याप्त संख्या में काम करने वाले आदमी और उपकरण नहीं रख पा रही हैं। जिस एजेंसी के पास बड़ी लंबाई की सड़कों का जिम्मा है वह ठीक ढंग से काम कर रही हैं। ऐसे में यह तय किया जा रहा कि ओपीआरएमसी में अब बड़ी लंबाई वाली सड़कों के पैकेज का ख्याल रखा जाएगा। जोन के हिसाब से सड़कों के रखरखाव की जिम्मेवारी तय कर दी जाए। ऐसे में सड़क की लंबाई स्वतः लंबी हो जाएगी।

निर्माण एजेंसी को भी सड़क से संबंधित रिपोर्ट की जानकारी

पथ निर्माण विभाग के अगर कोई अधिकारी किसी सड़क का निरीक्षण कर जब ऑनलाइन रिपोर्ट विभाग को सौंपते हैं तो उसकी सूचना संबंधित निर्माण एजेंसी को नहीं मिल पाती। नयी व्यवस्था यह की जा रही है कि निरीक्षण रिपोर्ट की कॉपी निर्माण एजेंसी को भी भेजी जाएगी। उसे यह मालूम हो सकेगा कि जिस तारीख को सड़क का निरीक्षण हुआ उस दिन उसके जिम्मे जो सड़क है उसकी क्या स्थिति थी।

अब नयी सड़कों के रखरखाव की भी मॉनीटरिंग

अभ तक यह व्यवस्था है कि नयी बनी सड़कों के रखरखाव की जिम्मेवारी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के तहत उस कंपनी के पास ही रहती है जो उसका निर्माण करती है। इसकी मॉनीटरिंग पथ निर्माण विभाग के संबंधित डिवीजन द्वारा की जाती है। नयी व्यवस्था यह हो रही है कि अब मुख्यालय से इसकी मॉनीटरिंग होगी। सड़कों के रख रखाव की देखरेख कर रही इकाई ऐसी श्रेणी की सड़कों की भी मॉनीटरिंग करेगी।